



भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI - 110 001

सं.464/गुजरात-वि.स./2017

दिनांक:17 दिसम्बर, 2017

सेवा में

महासचिव,
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (आईएनसी)
24, अकबर रोड,
नई दिल्ली-110001

विषय:- गुजरात की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2017 तत्संबंधी।

महोदय,

आपका ध्यान श्री राहुल गांधी, स्टार प्रचारक, आईएनसी को पत्र सं.464/गुजरात-वि.स./2017 दिनांक 13 दिसंबर, 2017 के द्वारा दिए गए नोटिस की तरफ आकर्षित किया जाता है।

2. दिनांक 13.12.2017 को देर शाम अपराह्न 10:15 बजे आयोग को अभ्यावेदन देते समय भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के प्रतिनिधिमण्डल ने उपर्युक्त विषय तथा संबंधित मामलों पर आयोग से विचार-विमर्श भी किया। इसके पश्चात मामलों की आयोग में आदर्श आचार संहिता तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के दृष्टिकोण से जांच की गई।

3. आयोग का यह सुविचारित मत है कि डिजिटल तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कई गुना विस्तार के कारण विद्यमान आदर्श आचार संहिता, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 तथा अन्य संबंधित प्रावधानों की, वर्तमान एवं उभरती हुई परिस्थितियों की अपेक्षाओं तथा चुनौतियों का सामना करने के लिए समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। आयोग शीघ्र ही उपरोक्त विषयों पर विचार-विमर्श करेगा तथा राजनैतिक दलों, मीडिया, एनबीए तथा अन्य पणधारियों से प्रावधानों में आवश्यक संशोधन के लिए सुझाव मांगने पर विचार करेगा। तदनुसार, इन मामलों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई जा रही है जिसके लिए संदर्भित शर्तों सहित विस्तृत आदेश अलग से जारी किया जाएगा। इस संबंध में समिति आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

4. पूर्वगामी टिप्पणी के आलोक में, श्री राहुल गांधी, स्टार प्रचारक, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस को दिनांक 13 दिसंबर, 2017 को दिए गए उपरोक्त नोटिस को वापिस लिया जाता है।

5. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस को सलाह दी जाती है कि वे इसके पश्चात, 48 घण्टे की प्रतिबंधित अवधि के दौरान मतदान होने वाले क्षेत्रों में निर्वाचन से संबंधित किसी भी बात का उल्लेख न करें।

भवदीय,

(वरिन्दर कुमार)
प्रधान सचिव